UPMP010025732026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी

पीठासीन अधिकारी– (Rupesh Ranjan), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02022**

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 878/2026

दीपकदास उम्र करीब 66 वर्ष पुत्र श्री ए.जी.दास निवासी सैन्ट मेरी स्कूल चर्च कम्पाउण्ड थाना कोतवाली व जिला मैनपुरी ।

–––प्रार्थी /अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

–––विपक्षी/वादी

आदेश

1– प्रार्थी /अभियुक्त दीपकदास की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. मुकदमा **अपराध संख्या– 998/2019** अन्तर्गत धारा– 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति निवारण अधिनियम थाना–कोतवाली जिला मैनपुरी में अग्रिम जमानत हेतु,**द्वितीय प्रार्थना–पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

2–प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कहा गया है कि उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के सिवाय न्यायालय में ही प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 92/2019 प्रस्तुत किया गया था,जिसको न्यायालय से दिनाक 14–10–2019 को निरस्त किया गया। उसके अलावा न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है।

3–संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, ''नगर क्षेत्र मैनपुरी में बहने वाली ईशन नदी के जल प्रवाह को सेन्ट मेरी पब्लिक स्कूल के प्रबन्धक दीपक दास द्वारा मिटटी का भराव कर स्कूल के पीछे बाधित कर दिया गया है। नदी के स्वाभाविक जल प्रवाह को उनके द्वारा एक समानान्तर नाला खोदकर डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया है। उनके इस कृत्य से नदी के द्वारा होने वाला लोक जल निकास बाधित हुआ है। रिपेार्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

4– प्रार्थी /अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि,'' प्रार्थी 66 वर्ष का वरिष्ठजन वृद्ध व्यक्ति है। प्रार्थी को उपरोक्त अपराध में पुलिस से साज करके प्रशासनिक अधिकारियों ने झूठा फंसाया है। उसका तथाकथित अपराध से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी जनपद मैनपुरी में प्रतिष्टित सैन्ट मेरी स्कूल का संचालक है एवम समाज में उच्च प्रतिष्टित व्यक्ति है। उसके विरूद्ध तथाकथित अपराध में परीक्षण न्यायालय से वारण्ट जारी किये गये हैं तथा इलाका पुलिस लगातार उसे परेशान कर रही है। प्रार्थी को गिरफतारी की प्रबल आशंका है। जबकि प्रार्थी द्वारा संचालित सैन्ट मैरी स्कूल की नवनिर्मित बिल्डिंग सभी विभागों से नक्शा पास करवाकर तथा एन.ओ.सी प्राप्त करने के उपरान्त

विधिवत निर्माण कराया गया है। जनपद मैनपुरी में प्रार्थी के द्वारा संचालित स्कूल की उच्च प्रतिष्ठा एवम सर्वाधिक छात्र संख्या प्रार्थी के स्कूल में होने के कारण प्रतिस्पर्धी स्कूल संचालकों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से साज करके उक्त झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में उपरोक्त प्रकरण अभी भी विचाराधीन है। प्रार्थी को मात्र परेशान करने एवम सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने के उददेश्य से उसका नाम उक्त तथाकथित मुकदमे में लिखा गया है। वह दौरान मुकदमा न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने को तैयार है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी /अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने याचना की गयी है।''

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7– प्राथमिकी के अनुसार नगर क्षेत्र मैनपुरी में बहने वाली ईशन नदी के जल प्रवाह को सेन्ट मेरी पब्लिक स्कूल के अभियुक्त/प्रबन्धक दीपक दास द्वारा मिटटी का भराव कर स्कूल के पीछे बाधित कर दिया गया है। नदी के स्वाभाविक जल प्रवाह को उनके द्वारा एक समानान्तर नाला खोदकर डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया है। उनके इस कृत्य से नदी के द्वारा होने वाला लोक जल निकास बाधित हुआ है। पत्रावली के अवलोकन से दृष्टिगत होता है कि अभियुक्त की निरन्तर अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा जमानतीय अधिपत्र जारी किए गए हैं। अभियुक्त के ऊपर आरोपित अपराध में अधिकतम दण्ड सात वर्ष या उससे कम अवधि के हैं। अतः ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था Arnesh Kumar Vs State of Bihar(2014) तथा सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी.बी.आई. 2021 तथा इसी अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दी गई विधि व्यवस्था बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी की कोई सारवान आंशका नहीं है। अभियुक्त की पूर्व में अग्रिम जमानत दिनांक 14–10–2019 को खारिज की जा चुकी है। कोई नया आधार द्वितीय अग्रिम जमानत में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कोई आधार नहीं है।

आदेश

अभियुक्त दीपकदास द्वारा योजित **द्वितीय अग्रिम जमानत** प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाँकः22.06.2026

(रूपेश रंजन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी

अनिल कुमार अग्रवाल,
पी.ए

RUPESH RANJAN
Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.06.22 15:27:46 +0530